भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1567

उत्तर देने की तारीख 13.02.2025

जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने की योजनाएं

†**1567. श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इस संबंध में क्या कार्य किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) दो मुख्य संस्थाएं हैं जो जनजातीय समुदायों के बीच आजीविका सृजन और रोजगार को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं।

'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' की योजना के तहत, ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करने और अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना की है। इस योजना के अंतर्गत, वन धन विकास केन्द्रों (वीडीवीके) जो एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्यवर्धन गतिविधियों के केन्द्र हैं, प्रत्येक वन धन विकास केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2019-20 से 11.83 लाख लाभार्थियों को जोड़ने वाले 3958 वीडीवीके की स्थापना के लिए 587.36 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आय सृजन करने की गतिविधियों/स्वरोजगार लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करके क्रेडिट लिंकेज प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत 6,23,605 जनजातीय लाभार्थियों को 1577.12 करोड़

रुपये की धनराशि वितरित की है। इनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार जनजातीय क्षेत्रों सहित रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), 10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग का डेयरी विकास, मत्स्य पालन विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारिक रूप देना, श्रम और रोजगार मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वस्त्र मंत्रालय का राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि जैसी अनेक योजनाएं/कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में, ट्राइफेड ने राजस्थान राज्य में 87, 511 लाभार्थियों को जोड़ते हुए 290 वीडीवीके स्वीकृत किए हैं और एनएसटीएफडीसी ने पिछले तीन वर्षों में 3329 जनजातीय लाभार्थियों को 20.10 करोड़ रुपये की धनराशि के ऋण वितरित किए हैं।

*****

अनुलग्नक I

“जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने की योजनाएं” के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा दिनांक 13.02.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1567 के उत्तर के लिए भाग (क) से (ख)के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

2019-20 से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का विवरण

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	वीडीवीके लाभार्थियों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123578	6,162.90
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	471	143309	7065
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू और कश्मीर	100	29791	1457
10	लद्दाख	10	3000	150
11	झारखंड	146	43701	2174.7
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4
13	केरल	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960
16	मणिपुर	200	60403	2996.8
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	259	76168	3806.55
19	नागालैंड	284	85198	4259.9
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	**राजस्थान**	**479**	**144803**	**7135.6**
22	सिक्किम	80	23381	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
कुल		**3958**	**1183412**	**58,736.50**

अनुलग्नक II

“जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने की योजनाएं” के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा दिनांक 13.02.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1567 के उत्तर के लिए भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

पिछले पांच वर्षों (2023-24 तक) में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों और उन्हें वितरित ऋणों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वितरित ऋण (करोड़ में)	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	171.06	55705
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.45	7501
3	अरुणाचल प्रदेश	25.10	10426
4	असम	1.03	212
5	बिहार	0.15	958
6	छत्तीसगढ़	30.52	6676
7	दादरा एवं नगर हवेली	0.05	6
8	गोवा	0.00	1
9	गुजरात	76.89	36453
10	हरियाणा	0.00	0
11	हिमाचल प्रदेश	1.27	201
12	जम्मू और कश्मीर	37.86	1361
13	झारखंड	37.44	32501
14	कर्नाटक	69.62	8817
15	केरल	22.32	1641
16	लक्षद्वीप	0.00	0
17	मध्य प्रदेश	174.43	33198
18	महाराष्ट्र	45.96	11649
19	मणिपुर	3.23	296
20	मेघालय	78.72	40731
21	मिजोरम	273.87	30504
22	नागालैंड	54.25	149187
23	ओडिशा	69.76	84849
24	**राजस्थान**	**65.27**	**9986**
25	सिक्किम	4.32	164
26	तमिलनाडु	44.09	16723
27	तेलंगाना	190.13	54311
28	त्रिपुरा	49.31	5530
29	उत्तराखंड	2.23	277
30	उत्तर प्रदेश	0.05	8
31	पश्चिम बंगाल	45.78	23733
	कुल	**1577.12**	**623605**

*****